कार्यालय जिलाधिकारी / लाईसेंस प्राधिकारी, फर्रूखाबाद।

संख्या 836 /जि0आ0अ0/व्यवस्थापन/2021–22/फर्रू0/दिनांक अगस्त05,2021

विज्ञप्ति

आबकारी आयुक्त उ0प्र0 प्रयागराज के कार्यालय पत्र संख्या–682–756/टास्क फोर्स–2/ई–लाटरी/2021–22 दिनांक 04.08.2021 ,द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद फर्रूखाबाद में वर्ष 2021–22 हेतु व्यवस्थापन के चतुर्थ चरण के पश्चात् अवशेष अव्यवस्थित देशी शराब की 01 दुकान एवं भांग की 01 दुकान के व्यवस्थापन न होने के फलस्वरूप नवसृजित देशी शराब की 02 दुकाने (1–प्रहलादपुर सन्तोष, 2–कुम्हौली चौराहा), एवं भांग की 01 दुकान (1–मोहम्मदाबाद) का ई–लॉटरी के तृतीय चरण हेतु 06.08.2021 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 11.08.2021 को सांय 05:00 बजे तक ई– लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है तथा दुकानों पर ई–लाटरी दिनांक 17.08.2021 को अपराह्न 01:00 से समाप्ति तक ई लॉटरी पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न की जाएगी। जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की नवसृजित दुकानों को ई–लॉटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्ते जनपद की वेवसाइट **www.farrukhabad.nic.in** तथा विभागीय ई–लॉटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।

05/8/21
(राजेश प्रसाद)
जिला आबकारी अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

05/8
(मानवेन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपिः–निम्न को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार पत्र में आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार सूक्ष्म प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

1. सम्पादक **"हिन्दुस्तान"** दैनिक समाचार पत्र फर्रूखाबाद।
2. सम्पादक **"अमर उजाला"** दैनिक समाचार पत्र फर्रूखाबाद।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, फर्रूखाबाद को इस अनुरोध से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

05/8/21
(राजेश प्रसाद)
जिला आबकारी अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

जनपद– फर्रुखाबाद

वित्तीय वर्ष 2021–22 में ई–लॉटरी के माध्यम से नवसृजित देशी शराब का दुकानवार निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0, बेसिक लाईसेंस फीस, लाईसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि, धरोहर धनराशि, एवं प्रोसेसिंग फीस का विवरण

क0 सं0	दुकान का नाम	शॉप आई0डी0	प्रास्थिति	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 में) (36 प्रति0 वी/वी में)	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु न्यूनतम निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 में) (36 प्रति0 वी/वी में) 12 के गुणांक में	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस (रू0में) (एम0जी0क्यू0 x 35.5)	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस (एम0जी0 क्यू0 ×226)	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (एम0जी0 क्यू0×22.6)	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु (बे0ला0 फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य वांछित हैसियत की धनराशि)	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (कालम बे0ला0 फीस/ 10) (का0 8/10)	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रोसेसिंग शुल्क
1	प्रहलादपुर सन्तोष	35812	ग्रामीण	9864	9864	350172	2229264	222927	429906	35018	20000
2	कुम्हौली चौराहा	35818	ग्रामीण	9864	9864	350172	2229264	222927	429906	35018	20000

05/08/21
आबकारी निरीक्षक
क्षेत्र–3, फर्रुखाबाद।

05.8.2021
आबकारी निरीक्षक,
क्षेत्र–2, फर्रुखाबाद।

05/08/2021
आबकारी निरीक्षक
क्षेत्र–1, फर्रुखाबाद।

05/8/21
जिला आबकारी अधिकारी
फर्रुखाबाद।

जनपद फर्रूखाबाद में वित्तीय वर्ष 2021–22 की ई–लॉटरी के माध्यम से नवसृजित भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित वार्षिक ला0फी0/प्रतिभूति धनराशि/प्रोसेसिंग फीस/धरोहर धनराशि का विवरण

क0 सं0	दुकान का नाम	प्रास्थिति	शाप आई0 डी0	दुकानों का वार्षिक एम0 जी0 क्यू0 (कि0 ग्रा0 में)	प्रतिफल शुल्क (20×एम0 जी0क्यू0) रू0में	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस (रू0में)	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित वार्षिक प्रतिभूति धनराशि (प्रतिफल शुल्क एवं लाइसेंस फीस का 1/6 भाग) को राउण्ड ऑफ करने पर (रू0में)	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (लाइसेंस फीस/10)(रू0में) को राउण्ड ऑफ करने पर (रू0में)	हैसियत प्रमाण पत्र (मूल लाइसेंस फीस के बराबर)	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित प्रोसेसिंग फीस (रू0में)
3	मोहम्मदाबाद	न0पं0	65001	180	3600	84535	14689	8454	84535	6000

05/08/21
आबकारी निरीक्षक
क्षेत्र–3, फर्रूखाबाद।

05-8-2021
आबकारी निरीक्षक
क्षेत्र–2, फर्रूखाबाद।

05/08/2021
आबकारी निरीक्षक
क्षेत्र–1, फर्रूखाबाद

05/8/21
जिला आबकारी अधिकारी
फर्रूखाबाद।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि ई–टेण्डर के द्वितीय चरण के उपरान्त अवशेष आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन हेतु तृतीय चरण की ई–लाटरी की प्रकिया सम्पन्न होनी है। इस निमित्त आवश्यक है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः सुव्यवस्थित ढंग से पारदर्शिता व शुचिता के साथ सपन्न की जाय।

उक्त के दृष्टिगत ई–लाटरी हेतु निम्नलिखित कार्यवाहियॉं किया जाना अपरिहार्य है–

1– ई–लाटरी प्रकिया सम्पादन के पूर्व आवेदकों के आन–लाइन प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की समीक्षा कर प्रत्येक दुकान के अर्ह एवं अनर्ह आवेदकों की सूची पहले ही तैयार कर ली जाय। अनर्ह सूची मे आवेदक को अनर्ह घोषित करने का कारण भी उल्लिखित किया जाय।

2– इस प्रकार तैयार की गयी सूचियों को विभागीय नोटिस बोर्ड पर तथा लाटरी पाण्डाल में अवश्य प्रदर्शित किया जाय।

3– अर्ह पाये गये आवेदनों से सम्बन्धित विवरण को उपरोक्त प्रस्तर–2 की कार्यवाही पूर्ण करके जिला आबकारी अधिकारी द्वारा लॉक किया जायेगा। उपरोक्तानुसार लाक करने से पहले यह अवश्य सुनश्चित कर लिया जाय कि लाक किये जा रहे विवरण सही हैं।

4– दुकानों के आवंटन हेतु ई–लाटरी की कार्यवाही रैण्डमाइजेशन प्रणाली द्वारा प्रत्येक जनपद के लिये स्वतन्त्र रूप से जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा लाक किये गये केन्द्रीयकृत डेटाबेस पर सम्पन्न की जायेगी। यह कार्यवाही निर्धारित तिथि एवं समय (संलग्नक–1) पर चयन समिति की उपस्थिति में सम्पन्न करायी जायेगी।

5– रैण्डमाइजेशन की कार्यवाही जिला आबकारी अधिकारी के लॉगइन एकाउन्ट से की जायेगी तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा टेक्निकल सपोर्ट प्रदान किया जायेगा। वास्तविक रूप से रैण्डमाइजेशन की प्रकिया के पूर्व इस प्रकिया के संबंध में पाण्डाल/हाल/लाटरी स्थल पर उपस्थित आवेदकों को यह सूचित किया जाय कि ई–लाटरी प्रकिया में आई0आई0टी0 कानपुर एवं आई0ई0टी0 लखनऊ के विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित एल्गोरिथिम का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही किसी दुकान के समस्त आवेदकों के चयनित होने की लगभग बराबर संभावना को तकनीकी रूप से सैपलिंग के माध्यम से दिखाया जाय। दुकानों का आवंटन प्रारम्भ करने के पूर्व जिला स्तरीय समिति द्वारा यह उद्घोषणा की जाय कि अब वास्तविक आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी तथा इस निमित्त लिखित उद्घोषणा पर उपस्थित आवेदकों में से कम से कम तीन आवेदकों से हस्ताक्षर कराया जायेगा। इसके पश्चात वास्तविक लाटरी प्रकिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। ई–लाटरी की प्रकिया के पूर्व संक्षिप्त जानकारी (संलग्नक–2) भी उपस्थित आवेदकों को दी जाय।

6– सर्वप्रथम देशी मदिरा की दुकानें, तत्पश्चात् क्रमशः माडल शाप्स, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की दुकानों हेतु लाटरी की प्रकिया की जायेगी। दुकानों का आवंटन धरोहर धनराशि के घटते क्रम में सम्पन्न किया जायेगा। दो अथवा दो से अधिक एक प्रकार की दुकानों की धरोहर धनराशि समान होने की स्थिति मे आवंटन का क्रम अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार दुकान के नाम पर आधारित होगा। प्रत्येक प्रकार की दुकान हेतु रैण्डमाइजेशन की प्रकिया प्रारम्भ करने से पूर्व 03 अंकों का सीड नम्बर कम्प्यूटर मे भरा जायेगा। उक्त सीड नम्बर उपस्थित आवेदकों से एक–एक नम्बर भराकर तैयार किया जायेगा। प्रारम्भ की गयी रैण्डमाइजेशन की प्रकिया उस प्रकार

की सम्पूर्ण दुकानो हेतु पूर्ण होने के पश्चात ही बन्द होगी। रैण्डमाइजेशन द्वारा प्रत्येक दुकान के अर्ह आवेदनों को एक रैण्डम नम्बर प्रदान होगा तथा उसको घटते क्रम (अवरोही क्रम) में रखते हुये जिस आवेदन पत्र को सबसे बड़ा रैण्डम नम्बर प्राप्त होगा वह दुकान के लिये सफल आवेदन माना जायेगा।

7- ई लाटरी प्रक्रिया हेतु मण्डलवार समय सारिणी निम्नवत् निर्धारित की जाती है

क्र० सं०	समय	मण्डल का नाम
1	पूर्वाह्न 11:30 बजे से 01:00 बजे तक	लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ़
2	अपराह्न 01:00 बजे से 02:30बजे तक	सहारनपुर, बरेली, आगरा, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, चित्रकूटधाम, झांसी,

यदि उपरोक्त निर्धारित क्रम से संपन्न होने वाली ई-लाटरी प्रक्रिया में किसी आवेदन पत्र के आवेदक को पूर्व में प्रदेश मे देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स सहित कुल दो दुकानें प्राप्त हो चुकी हैं तो अग्रेतर आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा और अवरोही क्रम में अगले स्थान पर अवस्थित आवेदन पत्र का इसी प्रकार परीक्षण किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप में से किसी आवेदक के पक्ष में हुये दो दुकानों के आवंटन का संज्ञान भांग दुकानों के संबध में होने वाले अधिकतम दो आवंटन में नहीं लिया जायेगा।

8- इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पूर्ण प्रकिया डेटाबेस में टाइम स्टैम्प की जायेगी।

9- ई-लाटरी की पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार अवगत होते हुये ई-लाटरी की प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सेंथिल पांडियन सी0)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या /टास्क फोर्स-2/ई-लाटरी/2021-22/तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापूभवन, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
4- श्री शैलेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5- समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय।

(हरिश्चन्द्र)
प्र0 संयुक्त आबकारी आयुक्त,
टास्क फोर्स।

संलग्नक-1

मदिरा एवं भाँग की फुटकर दुकानों की ई-लॉटरी के तृतीय चरण हेतु समय-सारणी

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1	समस्त देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/भाँग की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स की सूची, सम्बन्धित देयताओ एवं आवश्यक अर्हताओं के विवरण के साथ विभागीय वेबसाइट एवं समाचार पत्रों में सूक्ष्म विज्ञप्ति का प्रकाशन और जनपद की वेबसाइट पर विज्ञप्ति का प्रकाशन।	05.08.2021
2	जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकानों का वर्ष 2021-22 का डेटा भरने एवं ई-लॉटरी के तृतीय चरण हेतु दुकानों को लॉक करने की अन्तिम तिथि	05.08.2021 को सायं 5.00 बजे तक
3	ई-लॉटरी के तृतीय चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्रारम्भ	06.08.2021 को मध्यान्ह 12.00 बजे से
4	ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि व समय	11.08.2021 को सायं 5.00 बजे तक
5	ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	13.08.2021 को सायं 5.00 बजे तक
6	तृतीय चरण की ई-लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	17.08.2021 को प्रातः 11.30 बजे से समाप्ति तक

संलग्नक–2

आमजन को कम्प्युटर के माध्यम से ई–लाटरी की संक्षिप्त जानकारी

ई–लाटरी का वैज्ञानिक आधार प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। एक दुकान पर प्रत्येक आवेदक के चयन होने की संभावना बराबर होती है। कम्प्युटर द्वारा रैण्डम नम्बर जेनेरेट करने की प्रकिया के माध्यम से चयन होता है। इसमें कोई निर्णय किसी व्यक्ति का न होकर कम्प्युटर द्वारा किया जाता है।

यह कम्प्युटर सॉफ्टवेयर तथा ई–लाटरी प्रकिया के पूर्णरूपेण निष्पक्ष और विश्वसनीय होने को IIT कानपुर तथा IET लखनऊ के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किया गया है।